कार्यालय नगर पालिका परिषद शिकारपुर जनपद, बुलन्दशहर।

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद शिकारपुर द्वारा वित्तीय बर्ष 2018–19 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निर्माण/विकास कार्यो के लिए दिनांक 11-2-19 को समय 2:00 बजे दोपहर तक निविदा आमन्त्रित की जाती है समय अवधि के अन्दर प्राप्त न होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है

क0सं0	कार्य	अनुमानित लागत	निविदा मूल्य	जमानत राशि जमा	कार्य की अवधि
1	मौ0 कोटशेर खां में पालिका भूमि पर अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण कार्य।	7,63000.00	500+12% GST	15300	1 माह
2	मौ0 मुफ्तीवाडा मण्डी परिषद में अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण कार्य।	3,10000.00	300+12% GST	6200	1 माह

–: शर्ते :–

1. निविदा सील बन्द बक्से में डाली जायेगी, तथा उसी दिन उपरोक्त निविदा संख्या 01 जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में समय 3:00 बजे तथा 02 नम्बर निविदा कार्यालय नगर पालिका परिषद शिकारपुर में समय दोपहर 2:00 बजे अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की उपस्थिति मे खोली जायेगी।
2. निविदा की बिक्री निविदा डालने से पूर्व दिनांक– 7-2-19 से 8-2-19 तक समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निविदा संख्या 01 की बिक्री कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर, उपजिलाधिकारी महोदय शिकारपुर व समस्त निविदाओं की बिक्री नगर पालिका परिषद शिकारपुर के कार्यालय मे की जायेगी ।
3. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को कार्यो हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीकरण, श्रम विभाग का पंजीकरण धरोहर राशि आदि, प्रमाण पत्र लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम के साथ स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित तिथि दिनांक 11-2-19 समय 2 PM तक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद शिकारपुर कार्यालय मे रखे निविदा बाक्स में डालना अनिवार्य है, यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नहीं होंगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
4. जिन ठेकेदारों का सिविल कार्य हेतु **पंजीकरण/नवीनीकरण** वर्ष 2018–19 में हो चुका है, वही निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे।
5. विभिन्न कार्य लोक निर्माण विभाग व जल निगम बुलन्दशहर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जायेगा ।
6. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शिकारपुर के पास सुरक्षित है।
7. निविदा स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को शपथ पत्र नोटेरी कराकर पालिका पक्ष में देना होगा।
8. प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/नगद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद के नाम से बन्धक कर जमा करनी होगी।
9. निविदा दाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तुरन्त अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा अगर ऐसा नही होता है तो द्वितीय निविदा दाता को उक्त कार्य कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी ।
10. शासनादेश संख्या– 609/नौ–9–2007–249ज/06, दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/– रु0 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा
11. अन्य शर्तें अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शिकारपुर के विवेक पर निर्भर रहेगी ।

नोटः– उक्त निविदाएं बेबसाईट http:/WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN पर भी देखी जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद शिकारपुर
जनपद–बुलन्दशहर।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद शिकारपुर
जनपद–बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1221/4 /न0पा0प0शि0/2018–19 दिनांकः 02-02-2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतुः–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, बुलन्दशहर ।
2. उपजिलाधिकारी महोदय, शिकारपुर ।
3. सम्पादक पंजाब केसरी / हिन्दुस्तान बुलन्दशहर को इस आशय से कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त विज्ञापन को अल्पतम स्थान में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की 3 प्रति बिल सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि एन.आई.सी बेबसाईड नम्बर **http:/bulandshahr.nic.in** पर उक्त विज्ञिप्त को अपलोड करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पां करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद शिकारपुर 02/02/19
जनपद–बुलन्दशहर।